33

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

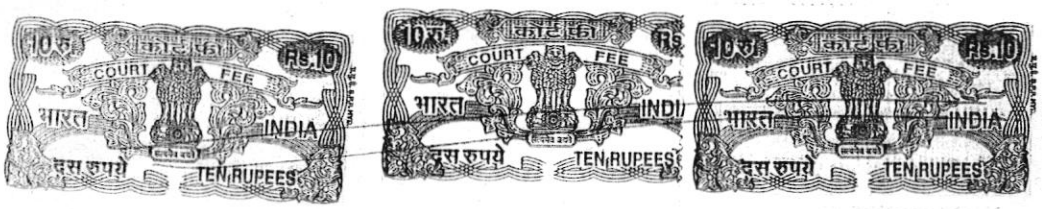

Rs. 30/-

R 5246 –III/16

राजकिशोर पासी तनय स्वर्गीय रतनलाल पासी उम्र 44 वर्ष निवासी शक्ति बिहार कालोनी, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 ....अपीलार्थी

बनाम

1– नंदकिशोर पासी तनय स्वर्गीय रतनलाल पासी

2– श्रीमती फूलमती पत्नी स्वर्गीय रतनलाल पासी

3– श्रीमती सावित्री पत्नी श्री मोहन पासी, पुत्री स्वर्गीय रतनलाल पासी

4– श्रीमती आशा देवी नामालूम, पुत्री स्वर्गीय रतनलाल पासी

5– श्रीमती ऊषा पत्नी नामालूम पुत्री स्व. रतनलाल पासी

सभी निवासी शक्ति बिहार कालोनी, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

................उत्तरवादीगण

श्री राजकुमार शुक्ला एड. द्वारा आज दिना 03-06-16 प्रस्तुत किया गया।

रवमं
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0

प्रकरण क्र0 374/अपील/09–10 निर्णय दिनांक 5/5/16 अपील अन्तर्गत धारा 44 म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

:: *संक्षिप्त विवरण* ::

1– अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी के पिता स्व0 रतनलाल पासी जिन्होने आराजी नं0 290/1/4 रकवा 43X68 वर्गफिट जमीन जो अपनी स्व अर्जित थी अपने जीवन काल मे ही दिनांक 02/11/96 को अपने दोनो पुत्र राजकिशोर पासी एवं नंदकिशोर के नाम वसीयत

राजकिशोर

राजकिशोर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5246–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 374/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 5–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत वसीयत को संदिग्ध मानते हुये तहसीलदार ने वारिसान नामांतरण स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभगीय अधिकारी रघुराजनगर एवं अपर आयुक्त रीवा के द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक चाहे तो अपने वसीयत एवं स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	